

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा

क्रमांक ए 2 (26) एम.ए. / वि. वि. / 2014


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
मेडिकल कॉलेज,
जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा /
बीकानेर / अजमेर।

3089
27/4/2016

विषय:- गर्भधारण पूर्ण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 2014 एवं भारत के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 09.01.2014 के भाग दो खण्ड -3 उपखण्ड (i) के तहत जारी नोटिफिकेशन क्रमांक इस विभाग का एफ 2(26)DME/GenSec/PC-PNDT/2014 दिनांक 05.09.2014 के निरन्तर में छः माह का प्रशिक्षण "The Fundamental in Abdomino-Pelvic Ultrasonography : Level one for MBBS doctors" प्राप्त करने के बाद योग्यता प्रमाण जारी करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- एफ 2(26)DME/GenSec/2014/3456 दिनांक 15.09.2015


उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सदरभित्ति पत्र जो कि गर्भधारण पूर्ण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 2014 एवं भारत के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 09.01.2014 के भाग दो खण्ड -3 उपखण्ड (i) के तहत जारी नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 2(26)DME/GenSec/PC-PNDT/2014 दिनांक 05.09.2014 के निरन्तर में छः माह का प्रशिक्षण "The Fundamental in Abdomino-Pelvic Ultrasonography : Level one for MBBS doctors" प्राप्त करने के बाद योग्यता प्रमाण जारी करने के सम्बन्ध में था। इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि इन प्रशिक्षणार्थियों का उक्त परिपत्र के नियमानुसार एसेसमेन्ट कर योग्यता प्रमाणित करने के तत्पश्चात् सम्बन्धित कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक उक्त प्रशिक्षण हेतु नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करें। जिन प्रशिक्षणार्थियों का एसेसमेन्ट हो चुका है उन का प्रमाण पत्र 15 मई 2016 तक जारी कराने का श्रम करें।


विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।

4. उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक(प्रशा.) चिकित्सा शिक्षा।
7. अतिरिक्त निदेशक(एके.) चिकित्सा शिक्षा।
8. रजिस्ट्रार, आर.यू.एच. एस।
9. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी सेल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- ✓ 11. श्री पीपी तिवाडी, सहायक प्रोग्रामर वेब साईड अपडेट हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।



विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक: प.2(26)सा.शा./चि.शि.नि./2014/ 3456

जयपुर, दिनांक:

परिपत्र



गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 2014 एवं भारत के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 9.1.2014 के भाग-दो खण्ड-3 उपखण्ड (i) के तहत जारी नोटिफिकेशन क्रमांक F-2(26)DME/GenSec/PC-PNDT/2014 दिनांक 5.9.2014 के निरन्तर में छः माह का प्रशिक्षण "The Fundamentals in Abdomino-Pelvic Ultrasonography : level one for MBBS doctors" प्राप्त करने के बाद योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु संबंधित मेडिकल कॉलेज के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष रेडियोडायग्नोसिस विभाग को independent examiner नियुक्त किया जाता है। independent examiner उक्त अधिनियम एवं गजट नोटिफिकेशन के अर्न्तगत उपलब्ध प्रावधानों के तहत प्रशिक्षणार्थियों का Knowledge based एवं skill based एसेसमेंट कर योग्यता प्रमाणित करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक प्रशिक्षणार्थियों को उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 2014 एवं भारत के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 9.1.2014 के भाग-दो खण्ड-3 उपखण्ड (i) के तहत उपलब्ध प्रावधानों की शतप्रतिशत पालना सुनिश्चित की जावे।

(सम्पत मल लोढा)
उपशासन सचिव

क्रमांक: प.2(26)सा.शा./चि.शि.नि./2014/ 3456

जयपुर, दिनांक: 25/8/2015

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, सरकार
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवायें, राज. जयपुर
04. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा
05. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर
06. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय, (RUHS) जयपुर
07. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
08. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज, अजमेर/जयपुर/उदयपुर/कोटा/कान्हेर/कोटा
09. प्रमारी राज्य पी सी पी एन डी टी सैल, स्वा. एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर
10. श्री पी पी तिवारी, सहा.प्रो. वेबसाइट अपडेट हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव